75

प्राप्त 5-1-2021

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड

विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सचिवालय परिसर 4–सुभाष रोड़, देहरादून– 248001

Email id-ceo uttaranchal@eci.gov.in फोन न0 (0135) 2713551

election09@gmail.com फोन न0 (0135) 2713552

संख्या– 18 /XXV–12(10) /2018 देहरादून : दिनांक 05 जनवरी, 2021

सेवा में,

श्री जीत पाल चन्द रमोला,
शक्तिपुरम कॉलोनी,विद्यामंदिर के पीछे,
नजदीक हवाई पट्टीगेट,
तह/पो/ब्लॉक–चिन्यालीसौड़,
जिला उत्तरकाशी पिन–249196,

विषय– **सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के तहत सूचना के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपका अनुरोध पत्र दिनांक 18.12.2019 (वास्तविक वर्ष 2020) जो दिनांक 24.12.2020 को इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है, के बिन्दु संख्या–3 एवं 4 तक की सूचना कार्यालय में धारित नहीं है। विन्दु संख्या–1 एवं 2 से सम्बन्धित वांछित सूचना हेतु अनुरोध पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा 6 (3) के अन्तर्गत अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु लोकसूचना अधिकारी/सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी, पौड़ी–गढ़वाल को हस्तान्तरित किया गया है।

इस आदेश के अन्तर्गत दी गई जानकारी से यदि असंतुष्ट हों तो आदेश प्राप्ति की तिथि से 30 दिन के अन्दर विभाग के अपीलीय अधिकारी जिनका पता निम्नवत है, अपील दायर कर सकते हैं।

अपीलीय अधिकारी का पता–
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल,
सचिवालय परिसर 4–सुभाष रोड़,
देहरादून– 248001,

भवदीय,

B.S. Rawat
(बसन्त सिंह रावत)
अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी।

05/1/2021

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सचिवालय परिसर 4–सुभाष रोड़, देहरादून– 248001
Email id-ceo uttaranchal@eci.gov.in फोन न० (0135) 2713551
election09@gmail.com फोन न० (0135) 2713552

संख्या– 17 /XXV–12(10)/2018 देहरादून : दिनांक 05 जनवरी, 2021

सूचना के अनुरोध को दूसरे प्राधिकारी को हस्तातरंण के लिए प्रपत्र

सेवा में,

लोक सूचना अधिकारी/
सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी,
पौड़ी–गढ़वाल।

विषय– **सूचना के अधिकार अधिनियम–2005 के तहत सूचना के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक अनुरोधकर्ता श्री जीत पाल चन्द रमोला, शक्तिपुरम कॉलोनी, विद्यामंदिर के पीछे, नजदीक हवाई पट्टीगेट, तह/पो/ब्लॉक–चिन्यालीसौड़, जिला उत्तरकाशी का अनुरोध पत्र दिनांक 18.12.2019 (वास्तविक वर्ष 2020) जो दिनांक 24.12.2020 को इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है, की प्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि विन्दु संख्या–1 एवं 2 में चाही गयी सूचना आपके कार्यालय से सम्बन्धित है। अतः अनुरोध पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा 6(3) के अन्तर्गत अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु हस्तान्तरित किया जा रहा है। कृपया अनुरोधकर्ता को वांछित सूचना अपने स्तर से नियमानुसार उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,

B-S-Rawat
(बसन्त सिंह रावत)
अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी।

पृ०संख्या 17 /XXV–12(10)/2008, तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि– श्री जीत पाल चन्द रमोला, शक्तिपुरम कॉलोनी,विद्यामंदिर के पीछे, नजदीक हवाई पट्टीगेट, तह/पो/ब्लॉक–चिन्यालीसौड़, जिला उत्तरकाशी पिन–249196 को सूचनार्थ प्रेषित।

BS Rawat
(बसन्त सिंह रावत)
अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी।

24/12/2020

सेवा में

लोक सूचना अधिकारी /
मुख्य चुनाव आयुक्त उत्तराखण्ड,
विश्वकर्मा भवन,प्रथम तल,
सचिवालय कैम्पस,04–सुभाष रोड़,
देहरादून 248001 ।

विषय :– **निम्न सूचना चाहने हेतु प्रार्थना पत्र।**

महोदय,

1.कोटद्वार विधान सभा उप निर्वाचन की आदर्श आचार संहिता दिनाँक 17–08–2005 से लागू होकर 03–10–2005 तक प्रभावी रहीः–इस आदर्श आचार संहिता को कोटद्वार के किस किस ब्लॉक और तहसील में लागू किया गया उनकी नामवार सूची उपलब्ध करवाए।

साथ ही यह भी स्पष्ट कराने की कृपा करे कि इस आदर्श आचार संहिता के अर्न्तगत कौन–2 से अन्य क्षेत्र के उत्तराखण्ड के नागरिक प्रभावित थे।

2.चुनाव आयोग ने शिक्षा विभाग को इस आदर्श आचार संहिता से प्रभावित ना होने वाले उत्तराखण्ड राज्य के नागरिकों के नियुक्ति पत्र ना काटने हेतु भी निर्देश कर रखे थे जी, यदि ऐसा आदेश / निर्देश था तो उस आदेश की प्रमाणित छाया प्रति उपलब्ध करवाने का कष्ट करें जी।

3. महोदय आजाद भारत में आपके विभाग को कानून की गहरी जानकारी होती है, कृपा करके यह बताऐ की भारत के किसी भी राज्य में विधान सभा के द्वारा पारित कोई भी मसौदा / अधिसूचना कब कानून का रूप वास्तव में लेता है।

4. चुनाव आयोग के कारण विज्ञप्ति वर्ष 4 नवम्बर 2004 की विज्ञप्ति से नियुक्ति लगभग 80 प्रतिशत अभ्यर्थियों को पुरानी पेंशन मिल रहीं है लेकिन उस कोटद्वार उपचुनाव के बहाने से बाकी बचे हुए अभ्यर्थियों को नई पेंशन थोप दी गई । क्या चुनाव आयोग इस सम्बंध में कोई पत्र शिक्षा विभाग को दे सकता है कि इस घोर शोषण से बाकी के अभ्यर्थियों को निजात मिल सके जी।

आशा है आप उपरोक्त सूचना से सत्यपित प्रमाणित पत्रजात के साथ अवगत करवाऐगें जी।

दिनाँक :–18 / 12 / 2019
सलंग्नः–भा.पो.आ.न.37एफ 931867,931868

आवेदक

जीत पाल चन्द रमोला,
शक्तिपुरम कॉलोनी
विद्यामंदिर के पीछे,
नजदीक हवाई पटटीगेट,
तह / पो / ब्लॉकः–चिन्यालीसौड़,
जिला :– उत्तरकाशी 249196।